कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन
पॉचवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 1664 / /आउशि/शा–7/अनु0/09–10/आयोजनेत्तर भोपाल, दिनांक 09/11/09

प्रति,

संबंधित प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,
शासकीय............................ महाविद्यालय (अग्रणी),
.... मध्यप्रदेश

विषयः– अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को ब्लाक ग्रांट वर्ष 2009–10 के लिये तृतीय किश्त के रूप में आवंटन देने बावत् ।

.............000...........

उपर्युक्त विषय में इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में तृतीय किश्त वेतन भत्तों के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर मद में संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालयों को राशि **रूपये 6,19,29,000/– (रूपये छः करोड़ उन्नीस लाख, उन्नतीस हजार मात्र)** आवंटन प्रदान किया जाता है। इस आवंटित राशि, से संस्थागत निधि में उपलब्ध अनुदान की शेष राशि एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 में आवंटित राशि को मिलाकर केवल देय वेतन भत्तों का नियमानुसार परीक्षण कर भुगमान करें ।

2. **आवंटित /स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा (03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (104) गैर सरकारी कालेज और संस्थाएं (3444) महाविद्यालयों को पोषण अनुदान 42/007 आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2009–10के अंतर्गत विकलनीय होगा ।**

3. **उक्त आवंटन निम्न शर्तों पर जारी किया जाता हैः–**

(1) संलग्न सूची के अनुसार महाविद्यालय के समक्ष जारी आवंटन/स्वीकृत की राशि का विमोचन तभी किया जाए जबकि संस्था द्वारा पूर्व में जारी किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आपके द्वारा प्राप्त किया गया हो । आपके द्वारा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को अग्रेषित करें । इस आवंटित राशि से भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि भुगतान की गई राशि की संबंधित को पात्रता है और भुगतान न करने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है एवं अवमानना नहीं हो रही है ।

(2) आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु स्वीकृत एवं मान्य पदों पर शासन द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को देय वेतन–भत्तों के 50 प्रतिशत राशि का ही आहरण किया जाये । गैर अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को यदि भुगतान हुआ तो उसकी वसूली संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षाधिकारियों से की जायेगी ।

निरन्तर

(3) स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 से वर्ष 2008–09 तक का आडिट होना सुनिश्चित करें एवं पूर्व वर्षों सहित आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित किया जाये ।

(4) महाविद्यालयो द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही फीस की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा होना सुनिश्चित किया जाये ।

(5) उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार /वित्त विभाग /स्थनीय निधि संपरीक्षा /उच्चशिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जॉच हेतु खुले रहेंगें ।

(6) महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकरण में रोके गये वेतन/माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अथवा अन्य कोई प्रकरण में लंबित स्वत्वों के भुगतान हेतु शासन द्वारा आदेश जारी किये गये है तो प्रथमतः उनको भुगतान करें । आदेशों के अवेहलना करने पर शासन द्वारा मिलने वाली अनुदान राशि की आगामी किश्त जारी किया जाना संभव नहीं होगा । मांग पत्र में इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाये कि शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुकम में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी का भुगतान लंबित नहीं है ।

(7) इस आवंटित राशि को शामिल कर वित्तीय वर्ष 2009–10 में आवंटित राशि तथा संस्थागत निधि में उपलब्ध राशि से माह फरवरी–2010 तक के देय वेतन–भत्तों की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करें । आवंटित राशि से शिक्षाधिकारी केवल वेतन–भत्तों की राशि का देयक स्वीकार कर कोषालय से राशि का आहरण सुनिश्चित करेगें । किसी भी प्रकार का वरिष्ठ वेतनमान् एरियर्स,, प्रवर श्रेणी का वेतनमान् का एरियर्स का भुगतान का देयक तभी पारित करें जब इस हेतु पृथक से इस कार्यालय से राशि स्वीकृत की गई हो । किसी भी दशा में अग्रिम राशि का आहरण कोषालय से न करें ।

(7) वित्तीय वर्ष 2009–10 में शेष अवधि के लिए अनुदान राशि की किश्त् तभी जारी की जावेगी जब आवंटित राशि का अशासकीय महाविद्यालय द्वारा उपयोग कर लिया जावेगा । इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित प्राचार्य एवं शिक्षाधिकारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त होने के पश्चात ही अनुदान की आगामी किश्त् पर विचार किया जावेगा ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 1665/आउशि/शा–7/अनु0/09–10/आयोजनेत्तर भोपाल, दिनांक 09.11.09

प्रतिलिपिः–

1 संबंधित कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

2– संबंधित प्राचार्य,..महाविद्यालय,..............................म0प्र0 की ओर भेज कर सूचित किया जाता है कि उक्त राशि का आवंटन अनुदान प्राप्त अशासकीय महविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को मासिक वेतन–भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदाय किया जा रहा है । किसी भी प्रकारं प्रवर श्रेणी वेतनमान्, एवं वरिष्ठ वेतनमन् एरियर्स के भुगतान हेतु पृथक से गणना पत्रक तैयार कर बजट हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करें ।

3– संबंधित क्षैत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

7/11